

कार्यालय अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
आदेशांक-वा0क0अधि0/अ0अन्त0/ /2022::लखनऊ::दिनांक::दिसम्बर 01, 2022

--:आदेश:--

प्रभारी सदस्य वाणिज्य कर अधिकरण पीठ-3, कानपुर के पत्रांक-544/2022 दिनांक 25.11.2022 पर सम्यक विचारोपरान्त सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण, पीठ-3, कानपुर में पीठासीन अधिकारी का पद रिक्त होने के कारण वैट एक्ट की धारा-57(12)(ई)(ii) के अर्न्तगत निहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए सदस्य वाणिज्य कर अधिकरण पीठ-3 कानपुर से सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण, पीठ-2, कानपुर को अधोअंकित स्टे के विरुद्ध अपील नियमानुसार निस्तारण हेतु अंतरित किया जाता है।

क्र० सं०	अपील सं०	फर्म का नाम	क०नि०वर्ष
1	69/2022	सर्वश्री अमृता पैकेजिंग प्रा०लि०, 28ए-150 फिट रोड, जाजमऊ कानपुर।	17-18

ह०/01.12.2022

(अरविन्द मलिक)

एच०जे०एस०

अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पृष्ठांकन संख्या-वा0क0अधि0/अ0अन्त0/1802/2022, दिनांक उक्त।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1-सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण, पीठ-2, कानपुर।
- 2-सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण, पीठ-3, कानपुर।
- 3-असि० कमि०/रा०प्रति० पीठ-2 व 3, कानपुर को सूचनार्थ प्रेषित।
- 4-आदेश की अनुरक्षण पत्रावली हेतु।
- 5-वेब अधिकारी मुख्यालय।

आज्ञा से

निबन्धक वाणिज्य कर अधिकरण,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।